urgent matter to the notice of the House :—

The condition of the moat (Sujan Ganga Canal) around the famous fort, Loha Garh, of Bharatpur is deteriorating miserably though it is under the Central Archaeological Department.

Its bathing ghats and boundary wall are badly damaged. This has resulted in the inflow of dirty water of the city into the canal. Some shopkeepers have also deliberately arranged to expel the dirty water from their shops to flow into the canal. This is developing into a serious health hazard. The water hyacinth that was removed last year is growing up very fast again. The canal-cleaning operation initiated last year has also not been properly completed. This requires urgent attention and steps from the Archaeological Department.

(vii) NEED FOR EFFECTIVE STEPS TO PROVIDE IMPROVED FACILITIES FOR PRIMERY EDUCATION IN UTTAR PRADESH.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के तहत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उपबन्ध किया गया है कि संविधान के लागू होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि के अन्दर राज्य 14 वर्ष से कम उम्र वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। तथापि, संविधान के लागू होने के लगभग 33 वर्षों के पश्चात् भी सरकार ने उन बच्चों के लिए भी शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की है, जो फीस दे कर पढ़ना चाहते हैं। देश के अनेक भागों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निन्दनीय है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक ऐसे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं। जहां कहीं स्कूलों के भवन हैं भी, तो वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। कहीं कहीं चार अथवा पांच कक्षायें एक ही कमरे में लगती हैं। विद्यालयों में फर्नीचर और अन्य शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था भी अपर्याप्त है।

शिक्षा का विषय 1977 में संविधान की सप्तम अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और इसलिए राज्य नीति के निदेशक तत्वों सम्बन्धी अनुच्छेद 45 के अधीन बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कारगर उपाय करने चाहियें। केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए।

15.13 hrs.

BEEDI WORKERS WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL—(Contd.)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will take up further consideration of the following motion moved by Shri P. Venkata Reddy on the 25th November, 1981, namely :—

"That the Bill to amend the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, be taken into consideration."

Mr. Venkata Reddy.